**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 982**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**राज्यों में अवसंरचनात्मक गतिरोधों को दूर किया जाना**

**अता.प्र.सं. 982. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केन्द्र औद्योगिक वृद्धि दर में आई कमी को दूर करने के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अवसंरचनात्मक गतिरोधों को दूर करने के लिए नई पहल करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विकास संबंधी प्रस्तावित प्रोत्साहन और अवसंरचनात्मक विकास पत्तन केन्द्रित होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टम जैसे कई नए पत्तन हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

1. : जी, हां।
2. : औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार चार औद्योगिक/आर्थिक कोरिडोरों नामतः चैन्ने-बंगलूरू औद्योगिक कोरिडोर (सीबीआईसी), बंगलुरू-मुम्बई आर्थिक कोरिडोर (बीएमईसी), विजाग-चैन्ने औद्योगिक कोरिडोर (वीसीआईसी) तथा अमृतसर-कोलकाता कोरिडोर (एकेआईसी) का विकास कर रही है। सीबीआईसी तथा वीसीआईसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कवर किया गया है, किसी औद्योगिक कोरिडोर के विकास के लिए बंदरगाहों से सम्पर्क, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सीबीआईसी के तहत विकास के लिए कृष्णापत्तनम (आंध्रप्रदेश), अभिज्ञात महत्वपूर्ण नोडों में से एक है।

सरकार ने अपनी संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस) के अंतर्गत निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया हैः-

1. भारत सरकार के 22.80 करोड़ रुपए के अंशदान से युक्त कुल 84.60 करोड़ रुपए की लागत पर बोब्बिली औद्योगिक पार्क, विजयनगरम, आंध्रप्रदेश को 24.02.2015 को सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. भारत सरकार की 27.16 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ कुल 100.07 करोड़ रुपए की कुल लागत पर हिन्दुपुर वृद्धि केंद्र एवं औद्योगिक पार्क, गोलापुरम, आंध्रप्रदेश के लिए 24.02.2015 को सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया गया है।
3. आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में कोट्टापत्तनम गांव में 536.88 एकड़ क्षेत्र में मेगा लैदर कलस्टर की स्थापना से कच्चे माल तथा तैयार माल की आवाजाही के लिए कृष्णापत्तनम बंदरगाह काफी उपयोगी रहेगा।
4. भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना को अनुमोदित किया है। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहनीत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहित करना तथा माल के दक्षतापूर्ण परिवहन हेतु अवसंरचना मुहैया कराना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बड़ी तथा छोटी बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें दक्ष बनाने हेतु उनका आधुनिकीकरण करने संबंधी मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ताकि उन्हें मौजूदा तथा भावी परिवहन परिसंपत्तियों का इष्‍टतम इस्तेमाल करके, परिवहन के लिए नए सम्पर्कों/लाइनों (सड़क, रेल, अंतरदेशीय जलमार्ग तथा तटीय मार्ग) का विकास करके, संभारिकी केंद्रों की स्थापना करके, तथा एक्सिम तथा घरेलू व्यापार में बंदरगाहों की सेवा के लिए उद्योगों तथा विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करके बंदरगाह संबद्ध आर्थिक विकास का वाहक बनाया जा सके।

\*\*\*\*\*